न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

१. श्रीमती रीना अग्रवाल पत्नि स्व.श्री रमेश कुमार अग्रवाल

२. श्रीमती पारूल गुप्ता पुत्री स्व.श्री रमेश कुमार अग्रवाल

दोनो निवासी एस.बी./५, गुडबिल काम्पलेक्स नेपियर टाऊन जबलपुर

.....पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

..... उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता १९५९।

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नजूल अधिकारी सागर तहसील सागर जिला सागर द्वारा राजस्व प्र.क्र. ५५ अ/६/वर्ष २०१५ - २०१६ में पारित आदेश दिनांक २७/१०/२०१६ से दुःखित होकर नीचे लिखे तथ्यों के अतिरिक्त आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

पुनरीक्षण के आधार

१. यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नजूल अधिकारी सागर का आलोच्य आदेश सर्वथा गलत व विधि विपरीत है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है ।

२ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह पंजीकृत बैनामा दिनांक ०८/०८/१९५९ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और पुनरीक्षणकर्तागण बैनामा दिनांक से ही खरीदशुदा भूमि पर मकान बनाकर मालिक काबिज चले आ रहे हैं । **(पंजीकृत बैनामा दिनांक ०८/०८/१९५९ की छायाप्रति अनुलग्न ए-१ है)** ।

३. यह कि विद्वान अधीनस्थ नजूल अधिकारी सागर ने मध्य प्रदेश शासन, भू-परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ५७०/५०३/आठ/६८ दिनांक १४/०३/१९६८ की ओर भी ध्यान नहीं दिया है और आलोच्य आदेश पारित कर नामान्तरण आवेदन निरस्त कर दिया है । **(ज्ञापन क्रमांक ५७०/५०३/आठ/६८ दिनांक १४/०३/१९६८ की छायाप्रति अनुलग्न ए-१ है)** ।

४. यह कि यह कि विद्वान अधीनस्थ नजूल अधिकारी सागर ने प्रकरण को बगैर किसी साक्ष्य के एवं बगैर स्थल निरीक्षण किए पारित किया है इस कारण भी आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3902–एक/16 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नजूल अधिकारी, सागर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 55/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–10–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिकाओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि उनके पूर्वज रमेश कुमार द्वारा दिनांक 8–8–1959 को सिविल लाइन स्थित नजूल ब्लॉक नं. 57 प्लाट नं. 7/1 में से विकेता राना कुंजर शमशेर जंग बहादुर से प्रश्नाधीन भूखंड कय किया था । रमेश कुमार की मृत्यु दिनांक 19–9–2000 को हो गई है ओर वे एक मात्र भू–स्वामी एवं काबिजदार हैं । अतः उक्त भूखंड पर उनका नाम दर्ज किया जाये । नजूल अधिकारी ने उक्त आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ करते हुए इश्तहार का प्रकाशन कराया गया जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई । तदुपरांत उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानते हुए कि वर्तमान में उक्त भूमि नजूल अभिलेख में विकेता के नाम दर्ज न होकर शासकीय नजूल भूमि दर्ज है इसलिए आवेदिकाओं का नाम दर्ज किया जाना संभव नहीं है, उनका आवेदन पत्र निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।	

R. 3902. 5/16 श्रीमती रीना अग्रवाल आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

3/ आवेदिकाओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश एन.एम.एस. के प्रतिवेदन के आधार पारित किया गया है । आदेश पारित करने से पूर्व आवेदिकाओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन तक नहीं किया गया और ना ही मौके की स्थिति का प्रतिवेदन लिया गया जबकि प्रश्नाधीन भूखंड पर वे मौके पर मकान बनाकर काबिज हैं । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने म0प्र0 शासन, भू–परिमाप तथा बंदावेस्त विभाग के ज्ञापन कमांक 570/503/आठ/68 दिनांक 14–3–68 जो कलेक्टर, सागर को लिखा गया है, का भी अवलोकन नहीं किया गया इस ज्ञापन में विकेता राना कुंजर द्वारा बेची गई भूमि के खरीददारों के पक्ष में प्रबंध करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ।

यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण कय किए गए भूखंड पर मकान बनाकर काबिज हैं और उक्त मकान पर उनका नाम नगर पालिका निगम, सागर में इन्द्राज है जिसका संपत्ति कर वे निरंतर नगर पालिका निगम में अदा करते आ रहे हैं ।

यह भी तर्क दिया गया कि नजूल ब्लॉक नं. 57 का रकबा काफी बड़ा है और विकेता राना कुंजर राम द्वारा आवेदकगण के पूर्वाधिकारी के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी भूखंड का विकय किया गया था और उनमें से कई केताओं के नाम राना कुंजर राम द्वारा विकय किये गये भूखंडों पर दर्ज है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक का नामांतरण स्वीकार करना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आवेदकों का आवेदन निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर सिविल लाइन स्थित

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3902–एक/16 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नजूल ब्लॉक नंबर 57 प्लाट नं. 7/1 के अंशभाग रकबा 4500 वर्गफुट पर आवेदिकओं का नाम दर्ज करने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताया गया तथा यह कहा गया कि आवेदकों की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख से संबंधित आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां पेश की गई हैं, अतः आवेदक की निगरानी का निराकरण इसी स्तर पर करते हुए निगरानी निरस्त की जाये । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदकगण के पूर्वज रमेश कुमार द्वारा दिनांक 8–8–1959 को प्रश्नाधीन भूमि के तत्समय के भूमिस्वामी राना कुंजर शमशेर जंग बहादुर से पंजीकृत विकयपत्र द्वारा कय की गई है । वर्तमान में उक्त भूखंड पर आवेदिकाओं का मकान निर्मित है वर्तमान में उक्त भूखंड पर आवेदक का मकान निर्मित है और और आवेदकगण उसका संपत्तिकर अदा कर रहे हैं । म0प्र0 शासन, भू–परिमाप तथा बंदावेस्त विभाग के ज्ञापन कमांक 570/503/आठ/68 दिनांक 14–3–68 जो जिलाध्यक्ष, सागर को लिखा गया है में भी विकेता राना कुंजर शमशेर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सिंह द्वारा बेची गई भूमि के खरीददारों के पक्ष में प्रबंध करने हेतु निर्देश दिए गए हैं । आवेदिकाओं की ओर से इस न्यायालय के समक्ष नजूल ब्लॉक नं. 57 प्लॉट नंबर 7 के कई बटांकों के वर्तमान खसरा पांचसाला की प्रतियां पेश की गई हैं, जिनको देखने से स्पष्ट है कि विकेता द्वारा उक्त प्लॉट नं. 7 में से बेचे गये भूखंडों पर केताओं के नाम दर्ज हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूखंड पर आवेदिकाओं का नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आवेदिकों का नाम दर्ज न करने के आदेश देने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा नजूल अधिकारी, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 08–08–1959 के आधार पर आवेदक द्वारा कय की गई भूमि स्थित सिविल लाइन, सागर के नजूल ब्लॉक नं. 57 प्लॉट नं. 7/1 के अंश भाग रकबा 4500 वर्गफुट पर आवेदिकाओं के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में दर्ज की जाये और त्दनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें तथा नियमानुसार तत्समय देय दर से भू–भाटक की गणना कर उक्त राशि आवेदिकाओं से जमा कराई जाये ।

उभयपक्ष सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर